Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम सुनील वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 11 / 2023

Date	Order with Initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
27.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण सुनील, सुरेन्द्र व महावीर मीणा पर जमानत अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री लालसिंह मारन पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। प्रकरण में अन्य अभियुक्त शिवभरत मफरूर है। लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 13.02.2026 पर बहस सुनी गई। लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अनुसंधान अधिकारी की मुख्य परीक्षण के बाद ऐसे गवाह को जोड़ा जाना अभियोजन की कमी (Lacuna) को भरने का प्रयास मात्र है, जो अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। साक्षी चिकित्सक न होकर मात्र औपचारिक प्रकृति के है, जो न्यायनिर्णय हेतु अनिवार्य नहीं है। इस स्तर पर गवाहों को जोड़ने से बचाव पक्ष/अभियुक्त को गंभीर पूर्वाग्रह पहुंचेगा। यदि माननीय न्यायालय उक्त प्रार्थना स्वीकार करने का विचार करें तो उक्त गवाहों के पूर्व कथनों, समस्त चिकित्सकीय अभिलेखों, एक्स–रे प्लेट, रिपोर्ट आदि दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपियां उपलब्ध करावे, ताकि प्रतिपरीक्षण का पूर्ण अवसर प्रदान हो सके तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गवाह डॉ. महेश यादव रेडियोलॉजिस्ट व डॉ. राकेश मीणा रेडियोग्राफर राजकीय चिकित्सालय बारां प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है, जिसकी साक्ष्य के बिना न्याय का ह्रास होगा। अतः न्यायहित में गवाह की महत्ता को दृष्टिगत न्याय की स्थापना हेतु लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गवाह (1) डॉ. महेश यादव रेडियोलॉजिस्ट राजकीय जिला अस्पताल बारां (2) राकेश कुमार मीणा रेडियोग्राफर राजकीय जिला अस्पताल बारां का नाम साक्ष्य सूची में क्रम संख्या 16 व 17 पर लाल स्याही से दर्ज किये जाकर जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है। कोई नए दस्तावेजात प्रस्तुत किये जाते है तो लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष को उपलब्ध करवाये जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.03.2026 को पेश हो।	

27.2.26

सत्यनारायण टेलर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बारां (राज.)